

ऐसी जगह निर्माण कार्य करे जहाँ पर विद्युत तार हो, जब तक इस प्रकरण लगे तार उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद द्वारा अन्यत्र न हटा दिये गये।

17. विकासकर्ता द्वारा कैश फ्लो रेटमेंट तथा निर्माण/विकास गतिविधियों हेतु बार चार्ट प्रस्तुत करना होगा जो सी0ए0 द्वारा सत्यापित होगा। योजना के समस्त कार्य समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने होंगे। यदि भविष्य में ३०० न्यायालय अथवा राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा किसी प्रकार का निर्णय/नियन्त्रण किन्हीं प्रकार के शुल्क अधिरोपित करने के संबंध में जारी किये जाते हैं तो उसके अनुसार विकासकर्ता को शुल्क प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा। विकासकर्ता को अपने वैकासनिक विवरण भी उपलब्ध कराना होगा, जिनसे उसके द्वारा वैत्तीय सुविधा प्राप्त की जा रही है।
18. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहे सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में ही अथवा आरक्षे वालकनी, छज्जा कारनिस और किसी प्रकार के प्रेक्षक के रूप में ही चाहें भले हो, ऐसे प्रेक्षक भूल से इस नक्शों में दर्शाए दिये गये की अनुज्ञा अमान्य होगी।
19. विकास कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति निर्धारित प्रारूप में सूचना देगा और उसके साथ मानचित्र की प्रति/कम्प्यूटरीकृत ड्राइंग (.dwg या समकक्ष फार्मेट में) सी.डी. ग जमा करेगा, जिसके आधार पर प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र फीस प्राधिकरण की नियमावली के अनुसार जमा करना होगा।
20. योजना के गरमत एवं रख-रखाव के कार्यों के संबंध में लीडा द्वारा निर्धारित नीतियों का पालन करना होगा।
21. विकासकर्ता द्वारा आंतरिक विकास कार्यों का विस्तृत ड्राइंग, डिजाइन व प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
22. मानचित्र में वर्णित अशमनीय निर्माण यदि निर्धारित तिथि तक पक्ष द्वारा ध्वस्त मर्ही किया जाता है तो पाधिकरण द्वारा जिलाधिकरी/प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सेक्टर दर का प्रतिशत हर्जाना कार्यान्वयी करके पक्ष से ध्वस्तीकरण का व्यय वसूल करेगा।
23. इस अनुज्ञा में संदर्भित भू/गृह का किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्रदत्त होता है और न ही समाप्त होता है और न ही यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विविधत कार्यवाही हेतु निरायोग्य अथवा/विवाहित करती है एवं इससे स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भौति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
24. प्रस्तावित स्थल पर विकास प्रारम्भ करने पर आवेदक द्वारा उसकी सूचना विहित प्रपत्र पर प्राधिकरण को दी जायेगी।
25. आवेदक को एवीकृत मानचित्र के अनुरूप ही संबंधित सिविल इंजीनीर व आर्कीट की देखरेख में निर्माणकार्य कराया जायेगा तथा समय-समय पर कार्य की प्रगति से लीडा को अवगत करना होगा। गुणवत्ता की विशिष्टियाओं में किसी प्रकार की कमी के लिये लीडा जिम्मेदार नहीं होगा।

8